Action Taken To Set Up Tool Room

67 (14/14/400): SH. VARUN CHAUDHRY (MULLANA): Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the action taken by the State Government to set up Tool Room in Industrial Growth Centre, Saha in District Ambala?

Reply:

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

Sir,

Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (HSIIDC) allocated 19.8 acre land at IMT Rohtak and 10 Acre land at IGC Saha for establishment of Tool Room/ Technology Centre (TC). Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Govt. of India has established TC at IMT Rohtak while the TC at IGC Saha is yet to be setup. Further, the Ministry of MSME requested for allotment of 20 acre land (identified by them) by surrendering the earlier allocated 10 acre plot. The HSIIDC vide letter dated 24.03.2022 conveyed the allotment of captioned 20 acre land to Ministry of MSME. Subsequently, Ministry of MSME vide letter dated 09.09.2022 requested that allotment of 20 acre land may be cancelled as Hon'ble Minister of MSME, Govt. of India approved establishment of Technology Centre on 10 acre land allotted earlier to them.

Consequently, in a letter dated 25.11.2022 by HSIIDC, permission was granted to Ministry of MSME to retain the earlier allotted 10 acre land. Department is pursuing the matter with Ministry of MSME, Government of India and response is awaited.

******

टूल रुम स्थापित करने पर कार्यवाही

67 (14/14/400) श्री वरूण चौधरी, (मुल्लाना): क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगें कि जिला अम्बाला में औद्योगिक विकास केन्द्र, साहा टूल रुम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

जवाब :

दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा।

श्रीमान जी,

हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (एच. एस. आई. आई. डी. सी.) ने टूल रुम/तकनीकी केन्द्र (टीसी) की स्थापना के लिए आई. एम. टी. रोहतक में 19.8 एकड़ भूमि और आई. जी. सी. साहा में 10 एकड़ भूमि आवंटित की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) भारत सरकार ने आई. एम. टी. रोहतक में तकनीकी केद्र की स्थापना कर दी है, जबकि आई. जी. सी. साहा में तकनीकी केन्द्र की स्थापना की जानी है। इसके अलावा, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने पहले से आवंटित 10 एकड़ प्लॉट का समर्पण करके 20 एकड़ भूमि (उनके द्वारा चिन्हित) के आवंटन के लिए अनुरोध किया था। एच. एस. आई. आई. डी. सी. ने पत्र दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से एम.एस. एम.ई. मंत्रालय को उक्त 20 एकड़ भूमि आवंटन की सूचना दी। इसके बाद एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने पत्र दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से 20 एकड़ भूमि का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया, क्योंकि माननीय एम.एस.एम.ई. मंत्री, भारत सरकार ने पूर्व में आवंटित 10 एकड़ भूमि पर तकनीकी केन्द्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

फलस्वरुप, एच. एस. आई. आई. डी. सी. द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2022 के माध्यम से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को पूर्व में आवंटित 10 एकड़ भूमि को अपने पास रखने की अनुमति दे दी है। विभाग, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रहा है और प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा है।

****